सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी ने 30 कानूनों की सूची तैयार कर दिल्ली सरकार को सौंपी है ताकि उन्हें खत्म किया जा सके

ऐसे भी कानून हमारी दिल्ली में

ऐसे 30 कानून हैं जो मतलब के नहीं

1. आपको जानकार आश्चर्य हो सकता है कि दिल्ली में लागू 1918 के पंजाब विलेज एंड स्माल टाउंस पेट्रोल एक्ट के मुताबिक दिल्ली में आने वाले गांव व कस्बों में हर रात वहां के वयस्क पुरुषों को बारीबारी पेट्रोलिंग करना आवश्यक है। पेट्रोलिंग न करने पर पांच रुपए जुर्माने का प्रावधान है।

2. एक सदी पुराने पंजाब मिलेट्री ट्रांसपोर्ट एक्ट-1916 में प्रावधान है कि सेना परिवहन के मकसद से दिल्ली के लोगों के जानवर, वाहन, नाव और अन्य चीजों को जबरन अपने कब्जे में ले सकती है।

3. द मद्रास लाइवस्टोक इम्प्रूवमेंट एक्ट-1940 के मुताबिक कोई बछड़ा आगे चलकर सांड़ ही रहे या उसे बैल बनाया जाए, यह सरकार तय करेगी और बैल और सांड़ का लाइसेंस उसके मालिक को जारी करेगी। किसी भी सांड़ का लाइसेंस सरकार यह मानते हुए रद्द कर सकती है कि उस प्रजाति को बढ़ाने की जरूरत नहीं है।

अनिरुद्ध शर्मा | नई दिल्ली

ये कुछ बानगी है कि दिल्ली में किस तरह के बेतुके, बेकार व बेमतलब कानून लागू हैं जिन्हें अब खत्म किए जाने की जरूरत है। इनका लागू रहना बेमानी है। कानून के जानकार बताते हैं कि यदि हमारे रूलबुक में कोई कानून अपने अस्तित्व में है तो उसका कभी भी दुरुपयोग हो सकता है। इन कानूनों के जरिए वसूली करने, परेशान करने, हतोत्साहित करने और दुश्मनी करने में जैसे दुरुपयोग हो सकते हैं। राजधानी में सक्रिय थिंक टैंक 'सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी' ने तनिकेला एंड रस्तोगी एसोसिएट्स के साथ मिलकर दिल्ली में लागू 30 कानूनों की सूची तैयार कर दिल्ली सरकार को सौंपी है ताकि उन्हें खत्म किया जा सके। सूची तैयार करने वालों में शामिल एडवोकेट निधि भल्ला ने बताया कि राजधानी में तमाम ऐसे पुराने कानून लागू हैं जिनका सालों से यहां कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। किसी मुकदमे के आदेश में उनका जिक्र नहीं किया गया। कई कानूनों के लागू होने का मकसद सालों पहले पूरा हो चुका है। कई पुराने कानूनों के बदले बेहतर व समग्र नए कानून आ चुके हैं। कई पुरातन कानूनों के प्रावधान नए कानूनों में शामिल किए जा चुके हैं। कुछ कानून तो हमारी वृद्धि, विकास, बेहतर प्रशासन व निजी आजादी में बाधा बने हुए हैं। दिल्ली में लागू कई कानून केवल दिल्ली के लिए ही बने थे और कुछ कानून अन्य प्रदेशों के लिए थे लेकिन उन्हें दिल्ली में एक्सटेंड कर दिया गया। निधि कहती हैं कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई कानून न केवल आम जनता की पहुंच से बाहर हैं बल्कि कई कानून तो दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर दिल्ली में लागू कानूनों की सूची तक में उपलब्ध नहीं हैं।

चकित करते रोचक कायदे

4. दिल्ली प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड नॉन-स्मोकर्स हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट-1996

कानून : सार्वजनिक स्थल धूम्रपान पर पाबंदी। विज्ञापन मव बच्चों को बेचने पर प्रतिबंध, जुर्माने का प्रावधान है।

क्यों हो खत्म : द सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट्स एक्ट-2003 नामक नए व बेहतर कानून में पुराने कानून के सभी प्रावधान शामिल किए गए हैं।

5. दिल्ली (प्लेसेज ऑफ पब्लिक एंटरटेंनमेंट) प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एक्ट-1953 :

कानून : मनोरंजन स्थलों पर मनोरंजन कार्यक्रम के शुरू होने के आधे घंटे पहले से लेकर कार्यक्रम खत्म होने के आधे घंटे बाद तक धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाता है।

क्यों हो खत्म : 2003 के नए सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट्स एक्ट में यह प्रावधान मौजूद है।

6. द लोकल गवर्नमेंट इन देल्ही (डिसक्वालीफिकेशन ऑफ मेंबरशिप) (स्माल फैमिली) एक्ट-1996

कानून : किसी व्यक्ति के दो या दो से अधिक बच्चे हैं तो स्थानीय सरकार में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

क्यों हो खत्म : समाज में महिलाओं के लिए यह कानून भेदभाव पूर्ण है।

7. दिल्ली स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स (रेवेन्यू कोर्ट्स) एक्ट-1953

कानून : मकान मालिक व किराएदार के बीच तीन कानूनों पंजाब टेनेसी एक्ट-1887, द आगरा टेनेसी एक्ट 1901 और पंजाब टेनेंट्स (सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर) एक्ट-1950 का प्रावधान था।

क्यों हो खत्म : अब ये खत्म हो चुके हैं।

8. मद्रास रेस्ट्रेक्शन ऑफ हैबीचुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1948 :

कानून : यह क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट-1924 को एक्सटेंड करता है जबकि अब वह कानून ही खत्म हो चुका। इस कानून के तहत कुछ जनजातियों को अपराधी घोषित किया गया है।

क्यों हो खत्म : पुलिस लोगों को बिना कोई नोटिस दिए गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अब इसके दुरुपयोग का खतरा है।

9. ईस्ट पंजाब ट्रैक्टर कल्टीवेशन (रिकवरी ऑफ चार्जेज) एक्ट 1949

कानून : पूर्वी पंजाब का कृषि विभाग साधनहीन किसानों को खेती करने के लिए निश्चित फीस पर ट्रैक्टर उपलब्ध करता था।

क्यों हो खत्म: दिल्ली सरकार में कृषि विभाग ही नहीं है।

नया बनाया, पुराने को नहीं हटाया

16. मद्रास गिफ्ट गुड्स (अनलॉफुल पजेशन) एक्ट 1961

कानून : गिफ्ट गुड्स (दूध पाउडर व वनस्पति तेल) पर अवैध कब्जा करने वालों पर दंड के लिए कानून बना था।

क्यों हो खत्म: अब इंडियन पीनल कोड में चोरी, अवैध कब्जे जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं।

17. ईस्ट पंजाब एनिमल कांटाजियस डिसीज एक्ट 1948

कानून : यह कानून किसी रोग से संक्रमित पशु को मारने का अधिकार देता है।

क्यों हो खत्म: अब द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इंफेक्शियस एंड कांटाजियस डिसेजेज इन एनिमल एक्ट 2009 अधिक सक्षम कानून है।

18. उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1916

कानून : इस कानून के तहत भीग मांगना अपराध है।

क्यों हो खत्म: ये कानून गरीबों की अनदेखी करता है। दिल्ली में इस धारा के तहत कोई मामला दर्ज नहीं हुआ।

19. दिल्ली राइट टू इंफोर्मेशन एक्ट-2001 :

कानून : सरकारी एजेंसियों के नियंत्रण की सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है।

क्यों हो खत्म: अब आरटीआई एक्ट अधिक सशक्त तौर पर सामने है।

20. दिल्ली भूदान यज्ञ एक्ट, 1955 :

कानून : आचार्य विनोबा भावे के भूदान यज्ञ के लिए भूदान यज्ञ बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है।

क्यों हो खत्म: दिल्ली में यह बोर्ड कभी नहीं बना।

21. पंजाब सिनेमाज (रेग्युलेशन) एक्ट, 1952 :

कानून : सिनेमा के प्रदर्शन के लिए इस कानून के तहत लाइसेंस लेना आवश्यक है।

क्यों हो खत्म: अब सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1953 अधिक व्यापक है।

22. दिल्ली प्राइमरी एजुकेशन एक्ट-1960

कानून : छह से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करता है।

क्यों हो खत्म: अब बाल अधिकार के लिए एक्ट 2009 के तहत बना कानून काफी समग्र है।

23. ईस्ट पंजाब (एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स) एक्ट 1948

कानून : आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान के पंजाब की जेलों में बंद भारतीय कैदियों को स्वदेश लाने के लिए लागू हुआ।

क्यों हो खत्म: अब ये कानून गैरजरूरी है।

10. ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चरल पेस्ट्स, डिसीजेज एंड नॉक्सियस वीड्स एक्ट, 1949

कानून : खेतों में पौधों को कीड़ों से, रोगों से बचाने के लिए कानून लागू हुआ। रोकथाम की गतिविधियों में 14 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को शामिल होना अनिवार्य था।

क्यों हो खत्म: इस कानून के तहत जो इंस्पेक्टर दिल्ली में नियुक्त किया जाना था, वह आज तक हुआ ही नहीं।

11. बॉबे रिलीफ अंडरटेकिंग्स (स्पेशल प्रोविजंस) एक्ट 1958 :

कानून : बीमार उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों को ध्यान में रख कारोबार को सरकार की ओर से कर्ज या अनुदान के जरिए राहत देने के लिए यह कानून आया।

क्यों हो खत्म: यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के प्रावधानों को भी काटता है।

12. उड़ीसा वेयरहाउस एक्ट 1956 :

कानून : उड़ीसा में गोदाम स्थापना व नियमन के लिए लागू हुआ। लाइसेंसिंग की प्रक्रिया और लाइसेंस रद्द होने का प्रावधान भी इसमें है।

क्यों हो खत्म: अब वेयरहाउसिंग (डेवलपमेंट एंड रेग्युलेशन) एक्ट, 2007 में उड़ीसा कानून के प्रावधान शामिल कर लिए गए हैं। वेयरहाउस के लिए कस्टम एक्ट, 1962 भी लागू है।

13. पंजाब सप्रेशन ऑफ इंडी सेंट एडवरटाइजमेंट एक्ट 1941

कानून : महिला रोगों से जुड़े किसी विज्ञापन में कोई फोटो या लिखित सामग्री अश्लील तरीके से पेश करने पर रोक लगाता है।

क्यों हो खत्म: अब ड्रग एंड मैजिक रेमिडीज (अनब्रेकेबल एडवरटाइजमेंट) एक्ट 1954 ने 1941 के कानून का स्थान ले चुका है।

14. पंजाब वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1933 :

कानून : दिल्ली में जंगली चिड़ियों व जानवरों के संरक्षण के लिए इसे लागू किया गया। यह कानून खासकर पंजाब व दिल्ली के गैर-वनीय इलाकों के लिए था।

क्यों हो खत्म: इसकी जगह वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 ने ले ली है।

15. ईस्ट पंजाब ओपियम स्मोकिंग एक्ट 1948

कानून : अफीम पीने पर नियंत्रण के लिए स्मोकर्स पंजीकृत किए जाते थे। उन्हें अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होता था कि इससे उन्हें नुकसान नहीं है।

क्यों हो खत्म: द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट-1985 ने इस कानून की जगह ले ली है।

24. तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1920

कानून : इस कानून की केवल धारा 300, 300 (1)(3) और 304 को ही 1945 में दिल्ली में लागू किया गया। इन धाराओं के तहत किसी भी निकाय क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों का टीकाकरण जरूरी है।

क्यों हो खत्म: तमिलनाडु खुद इस कानून को खत्म कर चुका है, साथ ही डब्ल्यूएचओ 1977 में ही चेचक के उन्मूलन की घोषणा कर चुका है।

25. द बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1959

कानून : यह कानून दिल्ली में भीख मांगने को रोकने के लिए भिखारियों व उन पर निर्भर लोगों को हिरासत में लेकर उन्हें किसी प्रमाणित संस्था के अधीन करने का प्रावधान करता है। यह कानून भिखारी व आवारा में कोई फर्क नहीं करता।

क्यों हो खत्म: कानून पुलिस को बिना किसी वारंट के भिखारियों को गिरफ्तार करने की शक्ति देता है।

26. टाउंस न्यूसेंसेज एक्ट 1889

कानून : एन्वायर्नमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट 1986 की धारा 3 के तहत सार्वजनिक इलाकों में साउंड एंप्लीफायर के इस्तेमाल पर जुर्माने का प्रावधान है।

क्यों हो खत्म: नॉइज पॉल्युशन (रेग्युलेशन एंड कंट्रोल) रूल्स, 2000 भी दिल्ली में लागू हैं। आईपीसी में तो टाउन्स एक्ट से ज्यादा सख्त दंड के प्रावधान हैं।

27. मद्रास टैंपल एंट्री ऑथराइजेशन एक्ट 1947

कानून : यह कानून मद्रास के मंदिरों में हिंदुओं के सभी वर्गों का प्रवेश व पूजा करने का हक सुनिश्चित करता है।

क्यों हो खत्म : दिल्ली में इस कानून का उपयोग ही नहीं हुआ। यदि किसी वर्ग को प्रवेश से रोका जाता है तो एससी व एसटी (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट) 1989 में सख्त जुर्माने का प्रावधान है।

28. उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एक्ट 1944

कानून : 1945 में यूपी का यह कानून अग्निशमन सेवा की स्थापना और इमारतों में अग्निशमन उपाय लगाने व आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए लागू किया गया।

क्यों हो खत्म: अब दिल्ली फायर सर्विस एक्ट 2007 और दिल्ली फायर सर्विस रूल्स 2010 लागू हो चुके हैं।

29. बॉम्बे स्मोक न्यूसेंसेज एक्ट 1912

कानून : भट्टियों के धुएं कम करने के लिए कानून लागू हुआ। इसके तहत एक स्मोक न्यूसेंसेज कमीशन की स्थापना का प्रावधान है जो धुएं पर निगरानी रखेगा और ज्यादा धुआं करने वालों पर 250 का जुर्माना लगाएगा।

क्यों हो खत्म: द एयर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्युशन) एक्ट 1981 में 1912 के प्रावधान शामिल हैं।

30. पंजाब कोपीइंग एक्ट-1936

कानून : राजस्व और न्यायिक विभाग से जानकारी की प्रति कुछ राशि देकर ले सकते हैं।

क्यों हो खत्म : 2005 के सूचना का अधिकार कानून के आने के बाद इसकी जरूरत नहीं।